न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 39/2016

उनवान

1. पंकेश पिता लालजी पाटीदार जाति पाटीदार निवासी लोकिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1. कालुराम पिता नानिया जाति भील निवासी लोकिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2. तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 20/3/2018

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के एकमात्र स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि जिसका खाता संख्या (नया) 15 (पुराना) 15 के आराजी नम्बर 166 रकबा 0.09 हे0 वाके ग्राम लोकिया पटवार मण्डल अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थित है। वादी उक्त आराजी नम्बर पर करीब 50 वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है। साथ ही अपने परिवार का भरष पोषण कर रहा है। यह कि गैर कानूनी तरीके के उक्त खसरा नम्बर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड हो गई है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कोई व्यक्ति गांव लोकिया में निवास नही करता है। न ही इस नाम का कोई व्यक्ति उक्त भूमि पर आया है। उक्त सर्वे नम्बर को भू–माफिया से मिलकर प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज करवा दी गई। जबकि उक्त प्रतिवादी नम्बर 1 के द्वारा कभी भी मौके पर आया न काश्त की है। न ही उसका कोई कब्जा है। वादी के कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर वादी को काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। वादी व उसके परिजन उक्त भूमि पर पैतृक समय से काबिज है व वादी का ही आधिपत्य होने से शान्तिपुर्वक खेती करने से कानुनन खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है व उक्त प्रकरण में बताये गये नाम का व्यक्ति कभी गांव में मौजुद नही रहा है। इसलिये वादी को उक्त सर्वे नम्बर की भूमि का खातेदार कृषक घोषित करने हेतु वाद पेश किया है।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल/अदम तामिल प्राप्त नही होने पर पत्रावली बईन्तजार सम्मन तामिल में नियत हुई। दौराने कार्यवाही प्रकरण का ''राजस्व लोक अदालत अभियान'' (न्याय आपके द्वार–2016) में चयन किया जाकर पक्षकारान् के नाम सूचना–पत्र जारी होने पर प्रतिवादी संख्या के नाम जारी सूचना–पत्र तहसीलदार की रिपोर्ट के इस आशय के साथ प्रस्तुत हुआ कि ग्राम लोकिया में उक्त प्रतिवादी के नाम का कोई भी व्यक्ति निवास नही करता है। तत्पश्चात् वादी अभिभाषक को प्रतिवादी के नाम का नोटिस समाचार–पत्र में प्रकाशित करवाये जाने निर्देशित किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.1.2017 को ''दैनिक नवज्योति'' समाचार–पत्र में प्रतिवादी के नाम से इस प्रकार ''जाहिर सूचना'' जारी

तामील कराने में यह जाहीर आया हैं कि इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम लोकिया में निवास नही करता है। अतः जरिये सूचना प्रतिवादीगण व हर आम व खास को सूचित किया जाता हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हितबद्व हो दिनांक 31.1.2017 को अदालत हाजा में प्रातः 10 बजे वकालतन या असालतन उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे अन्यथा उक्त वाद में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। उक्त लोक सूचना जारी होने पर भी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से किसी के उपस्थित नही होने पर नियत दिनांक 31.1.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही नियत की जाकर पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 (भूमिधारी तहसीलदार) के जवाब हेतु नियत हुई। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी ने अपने पत्रांकः राजस्व/2017/1863 दिनांक 12.12.2017 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम लोकिया मे वर्तमान में कालुराम पिता नानिया जाति भील निवासी लोकिया के नाम का कोई व्यक्ति नही रहता है।

प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एंव संलग्न राजस्व अभिलेख तथा जारी सूचना–पत्र एंव लोक सूचना तथा भूमिधारी तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि मौजा लोकिया की खाता संख्या 15 (नई) 15 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 166 रकबा 0.09 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्री कालुराम पिता नानीया भी साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। तथा साकिन देह खातेदार का तात्पर्य यह होता है कि खातेदार उसी गांव का निवासी हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधानो के अनुसार प्रतिकुल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नही है।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार को प्रकरण से सम्बन्धीत मूल खातेदार/उसके विधिक वारिसान की विस्तृत जांच करने निर्देशित किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी विरूद्व निर्णित किया जाता है।

(पूजा कुमारी पार्थ)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा
गढ़ी

आदेश

प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार को प्रकरण से सम्बन्धीत मूल खातेदार/उसके विधिक वारिसान की विस्तृत जांच करने निर्देशित किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी विरूद्व निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार गढ़ी को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/3/2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 39/2016

उनवान

पंकेश पिता लालजी पाटीदार जाति पाटीदार निवासी लोकिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1. कालुराम पिता नानिया जाति भील निवासी लोकिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2. तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 20/3/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पैश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार को प्रकरण से सम्बन्धीत मूल खातेदार/उसके विधिक वारिसान की विस्तृत जांच करने निर्देशित किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी विरूद्व निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी पृथक से जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार गढ़ी को भिजवाई जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 20/3/18 को जारी की गई।

(पूजा कुमारी पार्थ)
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी